



## भारतीय मानक ब्यूरो की SDO मान्यता योजना

### प्रलिमिस के लिये

अनुसंधान डिज़ाइन और मानक संगठन, भारतीय मानक ब्यूरो, 'एक राष्ट्र एक मानक' मशिन

### मेन्स के लिये

'एक राष्ट्र एक मानक' मशिन का महत्व और आवश्यकता

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रेलवे का 'अनुसंधान डिज़ाइन और मानक संगठन' (RDSO) भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के 'एक राष्ट्र एक मानक' मशिन के तहत 'मानक विकास संगठन' (SDO) घोषित होने वाला पहला संस्थान बन गया है।

- ‘अनुसंधान डिज़ाइन और मानक संगठन’ ने BSI SDO मान्यता योजना के तहत ‘मानक विकास संगठन’ (SDO) के रूप में मान्यता प्राप्त करने की पहल की है।

### अनुसंधान डिज़ाइन और मानक संगठन

- यह लखनऊ (उत्तर प्रदेश) स्थित रेल मंत्रालय का एकमात्र अनुसंधान एवं विकास विभाग है, जो रेलवे क्षेत्र के लिये मानकीकरण का कार्य करने वाले प्रमुख नियंत्रकों के रूप में कार्य कर रहा है।

### प्रमुख बातें

#### परिचय

- ‘एक राष्ट्र एक मानक’ मशिन के विचार की कल्पना पहली बार वर्ष 2019 में की गई थी, इसकी प्रक्रिया देश में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को सुनिश्चित करने के लिये ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना की तरज पर की गई थी।
- भारत सरकार के ‘एक राष्ट्र एक मानक’ विज़िन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने एक योजना शुरू की है, जिसके तहत ‘मानक विकास संगठन’ (SDO) की मान्यता प्रदान की जाती है।
- यह मान्यता 3 वर्ष के लिये वैध है और वैधता अवधिपूरी होने के बाद नवीनीकरण की आवश्यकता होगी।

#### उद्देश्य

- विशिष्ट क्षेत्रों में मानकों के विकास में संलग्न विभिन्न संगठनों के पास उपलब्ध क्षमताओं और समरपति डोमेन विशिष्ट विशेषज्ञता को एकत्रित और एकीकृत करना।
  - इसका उद्देश्य किसी दिये गए उत्पाद के लिये एक मानक टेम्पलेट विकसित करना है, बजाय इसके किसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा विभिन्न प्रकार के मानक विकसित किये जाएँ।
- देश में सभी मानक विकास गतिविधियों के अभिसरण को सकृष्ट करना, जिसके परिणामस्वरूप देश में एक विषय के लिये एक राष्ट्रीय मानक मौजूद होगा।
  - यह लंबे समय तक ब्रांड इंडिया को स्थापित करने में मदद करेगा। यह भारतीय मानकों के लिये बाज़ार की प्रासंगिकता भी सुनिश्चित करेगा।

#### BSI की अन्य पहलें:

- **BSI-केयर एप**
  - इस एप के माध्यम से उपभोक्ता ISI-चहिनति और हॉलमार्क वाले उत्पादों की प्रमाणिकिता की जाँच कर सकते हैं और शक्तियां दर्ज कर सकते हैं।
- **कोवडि-19 मानक**
  - BSI ने कवर-ऑल और वैटलिटर के लिये कोवडि-19 मानकों को वकिसति किया है और इन 95 मास्क तथा सर्जिकल मास्क के लिये लाइसेंस प्रदान करने हेतु मानदंड जारी किये हैं, जिसके परणामस्वरूप ISI-चहिनति व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (PPEs) का उत्पादन बढ़ा है।
- **गुणवत्ता नियंत्रण आदेश**
  - BSI मानकों को अनविार्य बनाने के लिये गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका नभी रहा है।
- **उपभोक्ता जुङाव के लिये पोर्टल**
  - BSI उपभोक्ता जुङाव को लेकर एक पोर्टल वकिसति कर रहा है, जो उपभोक्ता समूहों के ऑनलाइन पंजीकरण, प्रस्तावों को प्रस्तुत करने और उनके अनुमोदन एवं शक्तियां प्रबंधन की सुविधा प्रदान करेगा।

## भारतीय मानक ब्यूरो

- इसे वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन जैसी गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण वकिसति तथा इससे संबंधित गतिविधियों की देखरेख के लिये स्थापित किया गया है।
- यह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 द्वारा स्थापित किया गया था, जो दसिंबर 1986 में लागू हुआ था। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वतिरण मंत्रालय के तत्त्वावधान में कार्य करता है।
- एक नया भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 को अक्तूबर 2017 से लागू किया गया है।
  - यह अधिनियम भारतीय मानक ब्यूरो (BSI) को भारत के राष्ट्रीय मानक नियंत्रण के रूप में स्थापित करता है।

## स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/bis-sdo-recognition-scheme>